फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

बादरराम पुत्र मगाराम **बनाम** भेराराम पुत्र धोकलराम वगैराह

किस्म मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955 मुकदमा नम्बर 300/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
12.11.2021	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थिगणों की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के बिना बंटवाडा करवाये भूमि का बेचान करने, मौका स्थिति में परिवर्तन करने एवं निर्माण करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 27.12.2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम बावडी, पटवार हल्का सेखाला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 919, 948, 1014/2, 1015/2, 1040, 1013/2, 1017/1, 1088/1, 1094, 1040/1 भूमि पर उभयपक्ष एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नही करे तथा न ही विशिष्ठ भू–भाग दर्शाकर बैचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण-कार्य करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 03 की पालना करते हुए अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 27.12.2021 को पेश हों।	

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.28 18:00:19 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
27/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओ पर पत्रावली का अवलोकन किया :– 1. प्रथम दृष्टतया मामला :– राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती है। जितना अधिकार प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक भूमि पर है उतना ही अप्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक की भूमि पर है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो के पक्ष में सिद्व होता है। 2. सुविध का संतुलन :–प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकार्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वही सुविधा अप्रार्थीगण भी प्राप्त करने के हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है। 3. अपूरनीय क्षति :– प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्व करना है परंन्तु राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह सिद्व होता है उक्त खसरा सामलाती है जो विवादित है। भूमि का बिना बंटवाडा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थिगण दोनो को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओ के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बावडी पटवार हल्का सेखाला तहसील सेखाला के खसरा नम्बर 919, 948, 1014/2, 1015/2, 1040, 1013/2, 1017/1, 1088/1, 1094, 1040/1 की भूमि के राजस्व रेकर्ड पर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, जालेसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.28 18:00:19 IST
Reason: SelfAttested